212

Rs. 20/-

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

नि0/2798/II/15

265
16.7.15

गंगा प्रसाद तनय जागेश्वर प्रसाद उम्र 73 वर्ष निवासी ग्राम गंगहरा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ———निगरानीकर्ता

बनाम

रामलाल गौतम तनय श्री जगदीश प्रसाद गौतम उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम कुसहा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ———गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्तं बनकुइया तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण कमांक 50/अ12/14—15 पुष्टि दिनांक 30—06—14

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

16.7.15

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :—

1— यह कि आराजी कमांक 2020 रकवा 1.266 हे0 स्थित ग्राम मनकहरी तह0 हुजूर राजस्व निरीक्षक मण्डल बनकुइयां के बाबत दिनांक 29—05—15 को सीमांकन हेतु अनावेदक क्र0 1 ने आवेदन पत्र प्ररतुत किया जिस पर हल्का पटवारी मनकही द्वारा दिनांक 03—06—14 को लिखित सूचना देना कहा गया है किन्तु दिनांक 03—06—14 को कोई भी सूचना आवेदक को नहीं है तथा दिनांक 06—06—14 को यह कहा गया कि स्थल का पंचनामा बनाया गया किन्तु आवेदक को स्थल पंचनामा की सूचना आवेदक को नहीं दी गई जब कि आवेदक आराजी क0 2013 का रकवा 2.894 हे0 का मालिक भूमि स्वामी है तथा आराजी क0 2020 के पश्चिम तरफ है तथा आवेदक के पक्ष में व्यवहार वाद के निर्णय के मुताबिक भूमि स्वामी कब्जे धारी मान्य किया गया है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2798/II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/3/16	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा नस्ती का परिशीलन किया। इनके प्रकाश में मैं इस प्रकरण में निम्न प्रमुख बिन्दु दीप एवं विचार योग्य पाता हूँ :- (क) प्रस्तुत खसरे एवं नक्शे के अनुसार निगराकार का स.नं. 2013, गैरनिगराकार के स.नं. 2020 से लगा हुआ है, अतः वे सीमावर्ती कृषक हैं। (ख) फील्डबुक, पंचनामे एवं प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि सीमांकन में किन्ही स्थाई बन्दोबस्ती चिन्हों का आधार नहीं लिया गया है, केवल पटवारी नक्शे के रेखाचित्र का खेतों की सीमाओं से मिलान करते हुए माप किया गया है। (ग) निगराकार का कहना है कि उसके खेत की मेड़ और उसपर लगे उसके पुश्तैनी पेड़ को गैरनिगराकार की भूमि में सीमांकित कर दिया गया है। (घ) सूचनापत्र एवं पंचनामे में निगराकार गंगाप्रसाद के हस्ताक्षर एक दूसरे से भिन्न हैं, और ये दोनों इस न्यायालय के वकालतनामे में उसके हस्ताक्षर से भी भिन्न लगते हैं। ऐसे में निगराकार को सूचना और पक्ष समर्थन का अवसर नहीं मिला होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। (ङ) पूर्व से प्रिन्टेड पंचनामे और प्रतिवेदन के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रारूपों में रिक्त स्थान भरकर इन्हें तैयार करना सही नहीं माना जा सकता। फील्डबुक प्रतिवेदन के अन्दर ही लिख दी जाना और विधिवत अलग से नहीं बनाई जाना भी सही नहीं कहा जा सकता। Pre-printed प्रोफार्मों में पंचनामा आदि बनाने से समुचित रूप से मौका स्थिति, कार्यवाही, आपत्तियों आदि का विवरण सम्भव नहीं हो सकता, अत: इनका उपयोग अवान्छनीय है। (चो) निगरानीकार ने शपथपत्र सहित धारा 5 का आवेदन देकर यह कहा है कि वह वृद्ध और लकवापीड़ित है, और सूचना (सीमांकन की) नहीं होने के कारण निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत कर रहा है। उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर यह निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ करता हूँ। साथ ही आक्षेपित आदेश दि 30-6-14 एवं उससे संबंधित समस्त कार्यवाही निरस्त करते हुए, तहसीलदार हुजूर, जिला रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अनिगरानीकार के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन अब अपने समक्ष लें, और ऊपर लिखे जा चुके सभी बिन्दुओं को ध्यान में रख उनसे	

XX-(a)-89
Rev. Hindi

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

R 2798/II/15 मामला क्रमांक: रीवा

(1)	(2)	(3)
	जुड़ी सभी बातों का पूरा पालन करते हुए, निगरानीकार सहित सभी सरहदी कृषकों और हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना और पक्षसमर्थन का समुचित अवसर देकर, स्थाई बन्दोबस्ती चिन्हों का आधार लेकर, अन्य क्षेत्र के दो राजस्व निरीक्षकों का दल बनाकर, नए सिरे मौके पर सीमांकन की कार्यवाही कराएं, फील्डबुक आदि विधिवत बनवाएं और बोलते स्वरूप के आदेश से अपने स्तर से उसकी योग्य पुष्टि करें।	
	उपरोक्त समस्त कार्यवाही, तहसीलदार उन्हें रा.मं. के इस आदेश की सूचना के अधिकतम 2 माह के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।	
	आक्षेपित आदेश दि 30-6-14 निरस्त करते हुए, तह. हुजूर को इन निर्देशों के साथ, यह निगरानी प्रकरण रा.मं.	

(1)	(2)	(3)
	से समाप्त किया जाता है। पक्षकार एवं तहसीलदार-हुजूर, जिला रीवा सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द.हो। सदस्य	

उनिशाक्षेमुरी-307-2 8 10-02-फासे-200,000 प्रपत्र.